

पत्रांक-2ब०/सङ्क 09-08/2013 (अंश 1)- 3125 /न० वि० एवं आ० वि०  
 बिहार सरकार  
 नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
 सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
 नगर परिषद किशनगंज।

पटना, दिनांक- 12/6/15

विषय:- नगर परिषद किशनगंज अन्तर्गत पथ निर्माण की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद किशनगंज अन्तर्गत पथ एवं पुलिया मद की निम्नलिखित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)						
क्र०	नगर निगम का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद किशनगंज	नगर परिषद किशनगंज अन्तर्गत एन०एच० 31 से खगड़ा द्वारा एवं मुशी टोला होते हुए कब्रिस्तान के पास बंगला सीमा तक पथ कार्य,	947.96000	947.96000	250.00	697.96

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत राज्यादेश सं० 77 दिनांक 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं० 103 दिनांक 28.02.2014 में निहित अनुदेशों के आलोक में कार्य कराया जाएगा एवं पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत शेष राशि आवंटित की जाएगी।

विश्वासभाजन

12/6/15

सरकार के विशेष सचिव

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
 सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
 नगर परिषद किशनगंज।

पटना, दिनांक—

**विषय:-** नगर परिषद किशनगंज अन्तर्गत पथ निर्माण की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद किशनगंज अन्तर्गत पथ एवं पुलिया मद की निम्नलिखित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निगम का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अचशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद किशनगंज	नगर परिषद किशनगंज अन्तर्गत एन०एच० 31 से खगड़ा द्वारा एवं मुशी टोला होते हुए कब्रिस्तान के पास बंगला सीमा तक पथ कार्य,	947.96000	947.96000	250.00	697.96

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत राज्यादेश सं० ७७ दिनांक 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं० १०३ दिनांक 28.02.2014 में निहित अनुदेशो के आलोक में कार्य कराया जाएगा एवं पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत शेष राशि आवंटित की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-२ब० / सङ्क ०९-०८ / २०१३ (अंश १) 3125

/ न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 12/6/15

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया / जिला पदाधिकारी, किशनगंज/अधीक्षण अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज /वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा २(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/6/15  
 सरकार के विशेष सचिव